

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 866/2007/अलवर.

सहायक आयुक्त (प्रतिकरापवंचन)
वृत-द्वितीय, राजस्थान, जयपुर.

.....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स शान टेबल वेयर्स प्रा० लिमिटेड, भिवाड़ी.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

श्री मदनलाल मालवीय, सदस्य

उपस्थित ::

श्री एन. के. बैद,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक

.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 17/09/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भरतपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 288/उपा-भरत/05-06/RST में पारित किये गये आदेश दिनांक 31.01.2007 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन वृत-द्वितीय, राजस्थान जयपुर (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2004-05 के लिये राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 (जिसे आगे 'प्रवेश कर अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 3, 11, 12, 15 व 34ए के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 29.9.2005 के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।
2. प्रकरण में विवाद का बिन्दु यह था कि प्रवेश कर अधिनियम के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 22.03.2002 में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को प्रवेश कर योग्य रखा गया था। इस पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की श्रेणी में कौन-कौनसी वस्तुएं सम्मिलित योग्य होंगी, उस सम्बन्ध में आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा दिनांक 23.4.2002 को परिपत्र संख्या 372 जारी किया गया था जिसमें विभिन्न वस्तुओं को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होना बताया गया था, परन्तु उक्त परिपत्र में प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा आयात किये गये माल 'सी-9' नामक वस्तु सम्मिलित नहीं थी, परन्तु इस माल को भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मानते हुए उस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रवेश कर का आरोपण कर दिया था जिसके विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 31.01.2007 को यह निर्णय किया गया कि प्रवेश कर हेतु जारी अधिसूचना दिनांक 23.4.2002 में 'सी-9' नामक वस्तु अंकित नहीं थी जबकि दिनांक 12.7.2004 को 'सी-9' नामक वस्तु को प्रवेश कर योग्य वस्तु होना अधिसूचित किया गया था, फलतः





ब्रगातार.....2

दिनांक 12.7.2004 के पूर्व 'सी-9' नामक वस्तु पर ही आरोपित प्रवेश कर को अपास्त किया गया, जिसके विरुद्ध विभाग द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. राजस्व की ओर से विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि 'सी-9' भी एक तरह का पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ही है अतः कर निर्धारण अधिकारी के आदेश को बहाल करने का निवेदन करते हुए अपीलीय आदेश को निरस्त करने का कथन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक की ओर से अपीलीय आदेश को उचित ठहराते हुए कथन किया कि 'सी-9' के पेट्रोलियम उत्पाद होने के विवाद के बिन्दु पर दिनांक 30.9.2015 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जयपुर बनाम मार्वल सेरेमिक्स प्रा0 लि0 अलवर व अन्य (2016) 13 आर.जी.एस.टी.आर. 82 (राज.) में यह निर्णय किया जा चुका है कि 'सी-9' एक केमिकल प्रोडक्ट है। उक्त प्रकरण में प्रथमतः कर बोर्ड द्वारा 'सी-9' को केमिकल माने जाने का निर्णय किया गया था, जिसकी पुष्टि की गयी है। उक्त आधार पर तर्क दिया कि इस निर्णय के पश्चात् निर्विवाद रूप से 'सी-9' पर 12.7.2004 के पूर्व प्रवेश कर आरोपणीय नहीं था।

5. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

6. प्रकरण में वर्णित उक्त तथ्यों के अधीन स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा 'सी-9' नामक केमिकल को पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स माना गया था, वह उचित नहीं था क्योंकि दिनांक 22.3.2002 की अधिसूचना में अंकित की गई वस्तु पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में केवल वे ही प्रोडक्ट शामिल होते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की श्रेणी में आने वाली वस्तुओं के लिये जारी किये गये स्पष्टीकरण में वे ही वस्तुएं ली गयी थी जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं। 'सी-9' को उक्त स्पष्टीकरण में अंकित नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त अब चूंकि इस विवाद पर राजस्थान कर बोर्ड एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है कि 'सी-9' एक केमिकल ही है, अतः मार्वल सेरेमिक्स के निर्णय के आलोक में राजस्व की अपील खारिज की जाती है एवं अपीलीय आदेश की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(मदनलाल मालवीय)
सदस्य

(के. एल. जैन)
सदस्य